

23.02.2026:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता को दिनांक 15.07.2025 को न्यायाहित मे अंतिम से अंतिम अवसर दिया जाकर हिदायत दी गई थी जिस पर आज दिनांक तक कोई अमल नही किया गया। वादी अधिवक्ता को को लगातार नोट करवाया जा रहा है। जिस पर को अमल नही किया गया। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र तलबी अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

h/ks
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़